दांडिक परिवाद कमांक–29/18

न्यायालय :–कामिनी जायसवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

पिथौरा, जिला–महासमुन्द (छ0ग0)

दाण्डिक परिवाद दिनांक–29/18

सी0आई0एस0 नंबर–01/18

संस्थित दिनांक–24.01.2018

नंदनी ध्रुव, पति– रामकुमार ध्रुव,
उम्र– 37 वर्ष,
हाल पता– वार्ड क्र0–11, अस्पताल परिसर, पिथौरा,
थाना एवं तहसील– पिथौरा, जिला–महासमुन्द (छ0ग0)

.... आवेदिका/परिवादिनी

//विरूद्ध//

(01) रामकुमार ध्रुव, पिता– स्व0 पुनीतराम ध्रुव,
उम्र–38 वर्ष, साकिन– तहसील कालोनी, बसना,
जिला– महासमुन्द थाना–सांकरा, जिला– महासमुन्द (छ0ग0)

(02) आशाबाई ध्रुव, पति– स्व0 पुनीतराम ध्रुव,
उम्र– 55 वर्ष

(03) भरत ध्रुव, पिता– स्व0 पुनीतराम ध्रुव
उम्र– 30 वर्ष

(04) हेमलता ध्रुव, पिता– स्व0 पुनीतराम ध्रुव
उम्र– 25 वर्ष
क्रमांक–01 से 04 सभी निवासी पी0डब्ल्यु0डी0 कालोनी के पीछे,
विरेन्द्र नगर सरायपाली, थाना एवं तहसील–सरायपाली
जिला– महासमुन्द (छ0ग0)

...............अनावेदकगण/अभियुक्तगण

//आदेश//
(आज दिनांक 25/03/2019 को पारित)

01/ आवेदिका द्वारा अनावेदक के विरूद्ध धारा–12 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत भरण–पोषण, चिकित्सा सुविधा पृथक से निवास हेतु किराया खर्च आदि कुल 17,000 रूपये प्रतिमाह एवं सुरक्षात्मक आदेश पारित किये जाने हेतु प्रस्तुत किया है।

02/ प्रकरण में अविवादित है, कि अनावेदिका एवं अनावेदक अनावेदक क्रमांक–01 पति–पत्नि है। जिनका विवाह दिनांक 16.05.2002 को सामाजिक रीति–रिवाज से संपन्न हुआ था। दाम्पत्य जीवन से उन्हें 01 पुत्री कुमारी पायल ध्रुव 13 वर्ष तथा पुत्र लव ध्रुव 11 वर्ष है, जो कि अपने पिता के साथ रहते है।

03/ आवेदिका द्वारा अनावेदकगण के विरूद्ध धारा–12 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम का आवेदन प्रस्तुत कर व्यक्त किया गया है कि, आवेदिका एवं अनावेदक क्रमांक–01 विधिवत् विवाहित पति–पत्नि है। आवेदिका एवं अनावेदक क्रमांक–01 के संसर्ग से 02 संताने एक पुत्री एवं 01 पुत्र है, जो वर्तमान में अपने पिता के साथ बसना में निवासरत है। आवेदिका द्वारा अनावेदक के विरूद्ध आरोप लगाया गया है कि, अनावेदक क्रमांक–01 द्वारा उसे दहेज में कम सामान लायी हो कहकर मारपीट, गाली–गलौज करते हुए उसके मायके भेजकर उसकी मॉ से पैसा लाने हेतु दबाव बनाया जाता था। अनावेदक क्रमांक–01 द्वारा घरेलू काम पसंद न करते हुए व्यंग कसकर प्रताड़ित किया जाता रहा एवं आस–पड़ोस के किसी भी व्यक्ति से बातचीत करने से मना

किया जाता एवं मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता रहा है। वर्तमान में अनावेदक क0–01 वाहन चालक के पद पर तहसील कार्यालय बसना में पदस्थ है। अनावेदक क0–02 से 04 अनावेदक क0–1 को भड़काते थे, तथा चरित्रहीनता का लांछन लगाते थे, तथाउसके साथ मारपीट एवं गाली–गलौज करते थे। अनावेदक क्रमांक–01 शराब पीने का आदी है, तथा शराब के नशे में हमेशा ही आवेदिका के साथ गाली–गलौज एवं मारपीट करते हुए उसे प्रताड़ित करता था। अनावेदक क्रमांक–01 घर में अन्य लोगो को बुलाकर उनके सामने अप्रतिष्ठित और अपमानजनक व्यवहार करते हुए उपहास उड़ाता है, तथा मूर्ख, गंवार कहकर निंदा करता है। उसके द्वारा आवेदिका के साथ मारपीट कर उसे दिनांक 06.09.2017 को घर से निकाल दिया गया, तब से आवेदिका अपने मॉ के साथ पिथौरा में निवासरत है। घरेलू हिंसा एवं प्रताड़ना के कारण आवेदिका मजबूर होकर अपने माता के घर निराश्रृत जीवन यापन कर रही है। आवेदिका के पास स्वयं की आय का कोई साधन नहीं है। उक्त आधार पर आवेदिका द्वारा स्वंय को घरेलू हिंसा से पीड़ित होना व्यक्त कर अनावेदक क्रमांक–01 से प्रतिमाह 15,000 रू. भरण–पोषण के रूप में दिलाये जाने एवं उसके विरूद्ध उचित आदेश पारित किये जाने की प्रार्थना की गई है।

04/ अनावेदक क्रमांक–01 द्वारा प्रस्तुत जवाब में यह अभिवचन किया गया है, कि विवाह हुए 16–17 वर्ष होने के पश्चात् अनावेदक क्रमांक–01 के द्वारा आवेदिका को दहेज की मांग पर प्रताड़ित करने का कथन घरेलु काम को पसंद न करने का कथन स्वयं में काल्पनिक है। अनावेदक क्रमांक–01 पेशे से वाहन चालक होने से काम के सिलसिले में सुबह 08 बजे से शाम तक व्यस्त रहता है, ऐसी स्थिति में आवेदिका को

आस–पड़ोस के किसी भी व्यक्ति से बातचीत करने से मना करने का तथ्य स्वयं काल्पनिक है। अनावेदक क्रमांक–01 एवं आवेदिका विवाह के बाद से ही परिवार से अलग रहकर विभिन्न स्थानो मे जीवकोपार्जन कर रहे है, जिससे अनावेदक क्र0–02 से 04 ग्राम–सरायपाली में निवासरत है, जिससे क्र0–02 से 04 द्वारा आवेदिका को प्रताड़ित करने उकसाने का आरोप काल्पनिक है। अनावेदक क्रमांक–01 द्वारा आवेदिका को कभी भी मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जा रहा है। आवेदिका स्वयं ही बुरे आचरण रखने वाली महिला है। आवेदिका दिनांक 07.09.2017 को रात्रि लगभग 03 बजे किसी अज्ञात व्यक्ति के साथ घर छोड़कर चली गयी। जिसकी जानकारी उन्हें अगले दिन सुबह हुई। अनावेदक क्रमांक–01 द्वारा आवेदिका के किसी भी स्त्री धन का विक्रय नहीं किया गया है। आवेदिका स्वयं आवेदक को झुठी रिपोर्ट लिखवाने की धमकी देकर प्रताड़ित करती है। आवेदिका ने स्वयं अनावेदक के घर का त्याग किया है, इसलिए भरण–पोषण और प्रतिकर की अधिकारिणी नहीं है। अतः आवेदिका द्वारा प्रस्तुत आवेदन निरस्त किया जावे।

<u>–:न्यायालय द्वारा अवधारणीय प्रश्नः–</u>

(क) क्या आवेदिका एवं अनोवदक क्रमांक–01 विधिवत् विवाहित पति–पत्नी होकर आवेदिका घरेलू हिंसा से प्रताड़ित है ?

(ख) अनुतोष एवं व्यय ?

05/ **<u>अवधारणीय प्रश्न क्रमांक (क)</u>** आवेदिका ने अपने अभिवचन का संपूर्ण समर्थन में शपथ–पत्र पर साक्ष्य प्रस्तुत किया है। आवेदिका द्वारा तहसीलदार, बसना का

मूल ज्ञापन दिनांक 04.06.2018 प्रपी–01, अनावेदक रामकुमार ध्रुव का वेतन पर्ची माह मई 2018 की सत्यप्रतिलिपि प्रपी–02, रामकुमार की सेवा पुस्तिका कुल 10 पन्नों में प्रपी–03, विवाह कार्ड प्रपी–04, पुलिस को दिनांक 29.09.2017 की अपराध की सूचना प्रपी–05 एवं दिनांक 18.02.2018 को प्रस्तुत अपराध की सूचना प्रपी–06 प्रस्तुत किया गया है।

06/ घरेलु हिंसा अधिनियम की धारा–03 के अनुसार घरेलु हिंसा इस अधिनिमय के प्रयोजनों के लिए प्रत्यर्थी को कोई भी कृत्य, लोप या कार्यकरण या आचरण, घरेलु हिंसा गठित करेगा, यदि वह व्यथित व्यक्ति के स्वास्थ, सुरक्षा, जीवन, अंग या कल्याण को नुकसान पहुंचाता है, क्षतिग्रस्त करता है या खतरा पहुंचाता है या ऐसा करने का प्रयास करता है और इसमें सम्मिलित है शारीरिक दुरूपयोग, योन दुरूपयोग, मौखिक और भावनात्मक दुरूपयोग तथा आर्थिक दुरूपयोग, या व्यथित व्यक्ति को, वह या उसके नातेदार किसी अन्य व्यक्ति से पर, किसी दहेज या अन्य सम्पत्ति या बहुमूल्य प्रतिभूमि के लिए विधि–विरूद्ध मांग की पूर्ति करने के लिए प्रपीड़ित करने के आशय से तंग करता है, नुकसान पहुंचाता है, क्षतिग्रस्त करता है, या खतरा पहुंचाता है, या खण्ड (क) या खण्ड (ख) में उल्लेखित किसी भी आशय से व्यथित व्यक्ति को या उसके नातेदारी वाले किसी व्यक्ति को ऐसा कृत्य जो धमकी देने का प्रभाव रखता है।

07/ न्यायालय के समक्ष आवेदिका द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर संरक्षण अधिकारी से प्रतिवेदन आहूत करने पर उनके द्वारा आवेदिका को घरेलू हिंसा से पीड़ित होना बताया गया है। प्रकरण की सुनवाई के दौरान अनावेदक प्रारंभिक स्तर पर उपस्थित होने के पश्चात् अनुपस्थित रहा है। प्रार्थियां के अखण्डीत कथन एवं संरक्षण अधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है, कि अनावेदक कमांक–01 द्वारा आवेदिका पर घरेलु हिंसा की गयी थी। आवेदिका द्वारा उपरोक्त संबंध

थाना–पिथौरा में प्रस्तुत पुलिस हस्तक्षेप अयोग्य अपराध की सूचना, शादी के आमंत्रण–पत्र की फोटोप्रति प्रस्तुत किये गये है। अनावेदक कमांक–01 के वर्तमान प्रकरण में एकपक्षीय हो जाने के कारण आवेदिका का मुख्य–परीक्षण बाबत् प्रस्तुत शपथ–पत्र अखण्डनीय रहा है। आवेदिका साक्ष्य एवं संरक्षण अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर आवेदिका का घरेलू हिंसा से प्रताड़िता होना प्रमाणित है। प्रकरण में अनावेदक क0–02 से 04 द्वारा घरेलु हिंसा किया जाना प्रमाणित नहीं होता है।

<u>अवधारणीय प्रश्न कमांक (ख)</u>

08/ आवेदिका वर्तमान में पृथक से रह रही है। आवेदिका के अनुसार अनावेदक कमांक–01 शासकीय नौकरी में कार्यरत है। अनावेदक कमांक–01 तहसील कार्यालय बसना में वाहन चालक के रूप में कार्य करता है, जिसे प्रतिमाह वेतन के रूप में 25,000 रूपये की आय है। प्रपी–02 माह मई 2018 की वेतन पर्ची के अनुसार अनावेदक कमांक–01 की नेट वेतन 25,347 है। उपरोक्त परिस्थितियों में आवेदिका का आवेदन स्वीकार कर निम्न अनुतोष आवेदिका को दिलाया जाता है, कि–

1– अनावेदक कमांक–01 द्वारा भरण–पोषण के रूप में आवेदिका को आवेदन प्रस्तुति दिनांक से रूपये 5000/–(अक्षरी पांच हजार रूपये) प्रतिमाह अदा किया जाये, जिसमें अनावेदक द्वारा अदा की अंतरिम भरण–पोषण की राशि समायोजित की जाए।

2– अनावेदक कमांक–01 द्वारा आवेदिका को प्रकरण में हुए व्यय स्वरूप 5000/– रू. पृथक से अदा किये जाए।

3– अनावेदक कमांक–01 अपने मकान सें आवेदिका को बेदखल करने का प्रयास नही करेगा एवं शांतिपूर्वक निवास करने देगा।

4– अनावेदक क्रमांक–01 भविष्य में आवेदिका के साथ किसी भी प्रकार की मारपीट, गाली–गलौज नहीं करेगा एवं आवेदिका को मानसिक या शारीरिक क्षति नहीं पहुंचायेगा।

09/ वर्तमान प्रकरण की परिस्थितियों से स्पष्ट है, कि अनावेदक क्रमांक–01 प्रकरण में नियमित रूप से उपस्थित नहीं रहा है। अनावेदक क्रमांक–01 के विरूद्ध प्रकरण में दो बार एकपक्षीय कार्यवाही की जा चुकी है। जिससे यह विश्वास करने का कारण है, कि आरोपी न्यायालय के आदेश का पालन नहीं करेगा। उक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आदेशित किया जाता है, कि भरण–पोषण की राशि कार्यालय प्रमुख/नियंत्रण अधिकारी के माध्यम से आवेदिका के खाता क्रमांक 20209136436 भारतीय स्टेट बैंक शाखा–पिथौरा में संदाय की जावे। वर्तमान में अनावेदक क्रमांक–01 तहसील कार्यालय, बसना में पदस्थ है। इसलिए उक्त संबंध में ज्ञापन तहसीलदार कार्यालय, बसना को आदेश के परिपालन हेतु प्रेषित हो।

10/ भविष्य में कुटुंब न्यायालय या अन्य किसी न्यायालय से आवेदिका को भरण–पोषण की राशि दिलायी जाती है, तो ऐसी स्थिति में इस आदेश द्वारा दिलायी गयी राशि अन्य न्यायालय से दिलायी गयी राशि से समायोजित की जावे।

11/ प्रकरण की कार्यवाही समाप्त।

आदेश खुले न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया

मेरे निर्देशन में टंकित
किया गया

(कामिनी जायसवाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
पिथौरा,जिला–महासमुन्द(छ0ग0)

(कामिनी जायसवाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
पिथौरा, जिला–महासमुन्द(छ0ग0)

दांडिक परिवाद कमांक–29/18

आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ हेतु प्रतिलिपिः–

01– रामकुमार ध्रुव, पिता– स्व0 पुनीतराम ध्रुव, उम्र–38 वर्ष, साकिन– तहसील कालोनी, बसना,

02– नंदनी ध्रुव, पति– रामकुमार ध्रुव,उम्र– 37 वर्ष, हाल पता– वार्ड क0–11, अस्पताल परिसर, पिथौरा, थाना एवं तहसील– पिथौरा, जिला–महासमुन्द (छ0ग0)

03– महिला एवं बाल संरक्षण अधिकारी, महिला एवं बाल विकास अधिकारी, पिथौरा, जिला–महासमुन्द छ0ग0

04– थाना प्रभारी थाना–पिथौरा जिला–महासमुन्द (छ0ग0)

05– तहसीलदार, तहसील–बसना, जिला–महासमुन्द (छ0ग0)

(कामिनी जायसवाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
पिथौरा, जिला–महासमुन्द(छ0ग0)